कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,

चंदवारा, मुजफ्फरपुर पिन–842001

कौसर नियाजी (बि0शि0से0)
प्रभारी प्राचार्य

Website :- www.ptecchandwara.co.
E-mail :- ptecchandwara1934 @gmail.com

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर में 24 घण्टे सुरक्षा सेवा बहाल करने हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अनुज्ञप्ति प्राप्त एजेंसी द्वारा सुरक्षा प्रहरी की निविदा अलग–अलग लिफाफे में मुहर बंद कर प्राचार्य प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी । विदित हो प्राप्त निविदा अगले कार्य दिवस तक खोली जायेगी। जिसमें सभी कंपनियों/ऐजेंसियो के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि या तीन दिनों के अन्दर खोली जायेगी। जिसकी सूचना कार्यालय के सूचना पट्ट एवं प्रतिष्ठान के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी। जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

सुरक्षा प्रहरी एजेन्सी हेतु निविदा की नियम एवं शर्त

1. संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था दो शिफ्ट में होगी। 2x2=4
2. संविदा की अवधि दो वर्ष की होगी, कार्य संतोषप्रद रहने पर संविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है एवं असंतोषजनक रहने पर घटायी जा सकती है।
3. निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्य सरकार, गृह विभाग (पसारा) से प्राप्त अनुज्ञप्ति की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. किसी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव का प्रमाण अनिवार्य है।
5.केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा निर्गत सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
6.बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना नियमावली–12 के प्रारूप के अनुरूप शर्तो का पालन करना होगा । इससे संबंधित प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथपत्र की मूल प्रति देना होगा।
7. काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र की मूल प्रति देना होगा।
8. कौशन मनी के रूप में 5,000 (पॉच हजार) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत देना है, जो प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, चन्दवारा, मुजफ्फरपुर के नाम से होगा
9.एजेन्सी का जी0एस0टी0 नं0 एवं पैन नं0 संलग्न करना अनिवार्य है।
10. दो वर्ष का आयकर भुगतान विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।
11. प्रति गार्ड–सरकार द्वारा निर्धारित 7725 / रूपये प्रति माह का भुगतान किया जायेगा।
12. किसी भी तरह के विवाद का निपटारा मुजफ्फरपुर जिला स्थित सिविल कोर्ट में होगा।
13. महाविद्यालय की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी सुरक्षा प्रहरी/रात्रि प्रहरी की होगी।
14. सुरक्षा प्रहरी भारत वर्ष का नागरिक होना चाहिए।
15. सुरक्षा प्रहरियों का चारित्री प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
16. सुरक्षा एजेन्सी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के एजेन्सी का एकरारनामा रद्द किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

24.05.2023

प्राचार्य
प्रा० शि० शि० महाविद्यालय
चन्दवारा मुजफ्फरपुर
24/05/23

Scanned with OKEN Scanner